



2025:CGHC:18424-DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरनिर्णय सुरक्षित करने का दिनांक : 25.02.2025निर्णय पारित करने का दिनांक : 23.04.2025प्रथम अपील क्रमांक 396/2018

1- प्रदीप जैन, पिता स्व. पंचम लाल जैन, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी- ईडब्ल्यूएस 14/12, कोसा नगर, थाना- सुपेला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

... अपीलार्थी/वादी

विरुद्ध

1- एम.डी.तिवारी, पिता स्व. मोती लाल तिवारी, आयु लगभग 71 वर्ष, सेवानिवृत्त लोक अधिकारी, निवासी प्लॉट नंबर 11, 12 प्रिय दर्शिनी नगर (व्यापार विहार के पास), बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

2- आर.पी. शर्मा, पिता स्व. भागीरथी शर्मा, आयु लगभग 72 वर्ष, सेवानिवृत्त लोक अधिकारी, निवासी ब्लॉक नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 12/ए, सेक्टर-09, बी.एस.पी. स्कूल के पास, थाना कोतवाली सेक्टर-06, भिलाई नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

3- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: कलेक्टर दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

...प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री उत्तम पाण्डेय, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 व 2 की ओर से	:	श्री पराग कोटेचा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से	:	सुश्री एन.के. कश्यप, पैनल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबेमाननीय न्यायमूर्ति श्री सचिन सिंह राजपूतसी ए वी निर्णयन्यायमूर्ति रजनी दुबे द्वारा,



1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दुर्ग, जिला- दुर्ग (छ.ग.) द्वारा सिविल वाद क्रमांक 1235615-ए/2011 में दिनांक 31.10.2017(अनुलग्नक ए/1)को पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा द्वेषपूर्ण अभियोजन के संबंध में दावा किए गए 1,75,69,542/- रुपये के प्रतिकर को खारिज कर दिया गया था। इस अपील के पक्षकारों को विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उनके विवरणानुसार संदर्भित किया जाएगा।

2. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष, वादी द्वारा यह अभिवचन किया गया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 थाना-सुपेला में थाना प्रभारी के पद पर तैनात था और मृतक प्रतिवादी आर.के. राय सहायक पुलिस उप-निरीक्षक और प्रतिवादी आर.पी. शर्मा पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। वादी के छोटे भाई की पत्नी की मृत्यु के कारण वादी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख के अधीन एक झूठा प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसके कारण वादी ने न्याय पाने के लिए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कई पत्र लिखे और यह समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ। जिसके कारण, प्रतिवादीगण की वादी के प्रति शत्रुता थी और उसे झूठे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में फंसाया गया। दिनांक 28.12.1994 को वादी को उसकी पत्नी साधना जैन के साथ उसके घर से थाना सुपेला लाया गया। अगले दिन वादी की पत्नी को थाना भिलाई नगर सेक्टर-6 भेज दिया गया। परंतु उसे झूठे प्रकरण में फंसाने के प्रयोजन से, वादी को थाना सुपेला में रखा गया। जब वादी पुलिस लॉकअप में था, मृतक प्रतिवादी आर.के. राय आया और उसे धमकी दी कि पुलिस के विरुद्ध लिखने पर उसे झूठे प्रकरण में फंसा दिया जाएगा। उक्त धमकी के परिणामस्वरूप, वादी को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 18 के अधीन यह दिखाते हुए कि उसके पास से 180 ग्राम अफीम जब्ती हुई है, झूठे प्रकरण में फंसा दिया गया। प्रतिवादीगण ने, यह दिखाने के लिए कि उनका घटना से कोई लेना-देना नहीं है, यह दिखाया कि जिस क्षेत्र से जब्ती की गई थी, वह दूसरे थाना का क्षेत्र था ताकि चालान दूसरे थाना से प्रस्तुत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, वादी को फंसाने के लिए एक मिथ्या कहानी गढ़ी गई कि एक सूचनाकर्ता से सूचना मिली थी कि वादी दिनांक 29.12.1994 को शहीद भगत सिंह स्कूल, तितुरडीह के पास अफीम बेच रहा था और छापा मारा गया और उसके पास से 180 ग्राम अफीम जब्त की गई। प्रकरण तितुरडीह का बताते हुए, प्रकरण को आगे की जाँच के लिए थाना मोहननगर को स्थानांतरित कर दिया गया और थाना मोहननगर द्वारा वादी के विरुद्ध अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान, न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट था कि दिनांक 28.12.1994 को वादी थाना सुपेला की पुलिस अभिरक्षा में था और प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य संदिग्ध थे। तत्पश्चात, दिनांक 07.06.1997 को, सत्र न्यायालय द्वारा वादी को उस प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया। निर्णय में, प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध अपने अधिकारों के दुरुपयोग और अनुचित आचरण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 241 के अधीन कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया। यद्यपि वादी को दोषमुक्त किया गया, परंतु वह 893 दिवस तक कारावास में रहा। अभिरक्षा में होने से पूर्व, वादी एक डेयरी फार्म चलाता था। उसके



अभिरक्षा में रहने के दौरान उसमें रहने वाले जानवरों की मृत्यु हो गई और वादी का व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वादी 'बरी', पापड़ और मसाले बेचता था। वह रेघा के धमधा और बासीन गाँव में भूमि पर खेती करता था, जिससे उसे धन प्राप्त होता था। अभिरक्षा में रहने के दौरान, वादी की आय के सभी स्रोत समाप्त हो गए। बीएसपी प्रशासन ने वादी के डेयरी फार्म को ध्वस्त कर दिया, जिससे वादी की सारी आय चली गई। सभी मदों में कुल 1,75,69,542 रुपये का हानि हुई। अतः वादी द्वारा उक्त प्रतिकर राशि और ब्याज सहित यह दावा प्रस्तुत किया गया है।

3. अपने लिखित कथन में, प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 ने दावे के सभी मुख्य आरोपों का खंडन किया और कथन किया कि वादी को साक्षियों के समक्ष अफीम बेचते समय गिरफ्तार किया गया था। वादी के विरुद्ध जो अभियोजन प्रस्तुत किया गया था, वह प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया था। वादी को प्रक्रियात्मक त्रुटि और प्रकरण में आवश्यक अभियोजन के अभाव के कारण न्यायालय ने दण्डिक प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया था। प्रतिवादीगण का वादी पर वाद चलाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। वादी ने प्रतिवादीगण, जो लोक सेवक हैं, के विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए राज्य शासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका समय बाधित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, वादी द्वारा प्रस्तुत दावे को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

4. प्रतिवादी क्रमांक 3/शासन ने अपने उत्तर में दावे के सभी मुख्य आरोपों का खंडन किया और तर्क किया कि वादी के विरुद्ध कोई झूठा अभियोजन नहीं चलाया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 ने एक लोक सेवक के रूप में अपना आधिकारिक कर्तव्य निभाया है। अभियोजन से पूर्व राज्य शासन से अनुमति नहीं ली गई है, जिसके कारण उसका दावा ग्राह्य नहीं है। इस न्यायालय को प्रकरण की सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। ऐसी स्थिति में, वादी द्वारा प्रस्तुत दावा याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

5. उभयपक्ष के अभिवचनों को सुनने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाद्यक तय किए और साक्षियों के कथन दर्ज करने तथा दस्तावेजों पर विचार करने के उपरांत, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज किया।

6. अपीलार्थी/वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री उत्तम पाण्डेय का तर्क है कि आक्षेपित निर्णय विधि के अनुसार संधारणीय नहीं है क्योंकि राज्य/प्रतिवादी क्रमांक 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के पश्चात, एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु उसे दिनांक 05-07-2017 के आदेश द्वारा खारिज किया गया और तत्पश्चात दिनांक 17-07-2017 को लिखित कथन प्रस्तुत किया गया, जिसे दिनांक 17-07-2017 के आदेश द्वारा अभिलेख



पर नहीं लिया गया, परंतु राज्य द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन को अस्वीकार करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में इस पर विचार किया और निर्णय के पैरा 5 में उसके घटकों का उल्लेख किया और इस प्रकार आक्षेपित निर्णय घोर अवैधता से ग्रसित है और अपास्त किए जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय ने यद्यपि "डॉ. महमूद नैयर आजम विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य" (2012) 8 एससीसी 1 का संदर्भ लिया है, परंतु अपने निष्कर्षों पर चर्चा नहीं की है और इस प्रकार एक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँची है जो अभिखण्डित किए जाने योग्य है। आक्षेपित निर्णय स्वतः विरोधाभासी है क्योंकि एक ओर तो पैरा 12 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी पर बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अभियोजन चलाया गया और उसे दोषमुक्त किया गया और इस प्रकार द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए, पहले दो आधार अपीलार्थी के पास उपलब्ध हैं, परंतु शेष पैराग्राफों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रतिवादीगण की ओर से कोई द्वेषपूर्ण भावना नहीं थी। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और डिक्री विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण हैं और अपास्त किए जाने योग्य हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का उचित विवेचना नहीं की और त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया। अपीलार्थी/वादी ने इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है कि उस पर झूठा अभियोजन चलाया गया था और बिना किसी उचित कारण के, उसे दिनांकित 29.12.1994 से 07.06.1997 तक, यानी कुल 893 दिवस तक कारावास में रखा गया और उसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न/पीड़ा सहन करना पड़ा और उसने यह भी सिद्ध किया है कि उक्त अवधि में उसका व्यवसाय बर्बाद हो गया, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों की विवेचना नहीं की और त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया। अतः आक्षेपित निर्णय और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य हैं तथा वादपत्र अपीलार्थी/वादी के पक्ष में डिक्री पारित किए जाने योग्य है।

मोहम्मद अमीन विरुद्ध जोगेंद्र कुमार बनर्जी व अन्य(1997) एआईआर (पीसी) 108 के प्रकरण में प्रिवी काउंसिल के निर्णय; रमेश चंद्र सिंह महापात्र विरुद्ध जगन्नाथ सिंह महापात्र(1975) एआईआर (उड़ीसा) 121 प्रकरण में उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय; यशवंतराव रंगानी कलार विरुद्ध नंदराम गोविंद कलार (1997) 1 एमपीजेआर 349 के प्रकरण में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय; तथा येरम शेषी रेड्डी व अन्य विरुद्ध बद्दूरी चंद्र यूसीडीडीआई व अन्य(1957) एआईआर (एपी) 347 प्रकरण में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का अवलंब लिया गया है;

7. श्री पराग कोटेचा और सुश्री एन.के. कश्यप, संबंधित प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की प्रार्थना का पूरजोर विरोध किया एवं यह तर्क किया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की सूक्ष्मतापूर्वक विवेचना की और अपीलार्थी/वादी के वाद को उचित रूप से खारिज किया। वादी के अभिवचनों और साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उसने संजय तिवारी के विरुद्ध आरोप लगाए थे, परंतु संजय तिवारी को सिविल वाद में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया। अतः विद्वान



विचारण न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को उचित रूप से खारिज किया है और यह अपील बिना किसी आधार के खारिज किए जाने योग्य है।

रविन्द्र कुमार शर्मा विरुद्ध असम राज्य व अन्य; एआईआर 1999 एससी 3571, राजस्थान राज्य विरुद्ध जैनुद्दीन शेख; 2015 एआईआर एससीडब्ल्यू 5189 प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों तथा येरम शेषी रेड्डी व अन्य विरुद्ध बहूरी चंद्र रेड्डी व अन्य; एआईआर 1957 आंध्र प्रदेश 347 के प्रकरण में माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

8. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन किया।

9. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वादी ने प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए 1,75,69,542/- रुपये के प्रतिकर के लिए सिविल वाद प्रस्तुत किया था।

10. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने 8 विवाद्यक तय किए, जिनमें से महत्वपूर्ण विवाद्यक निम्नलिखित हैं:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01-(अ) क्या वादी पर प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 ने द्वेषपूर्ण अभियोजन चलाया ?	"प्रमाणित नहीं"
(ब) यदि हाँ तो क्या वादी, प्रतिवादीगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हाँ तो किससे एवं कितना ?	"प्रमाणित नहीं"
08- क्या प्रतिवादी क्र० 1 से 3 प्रतिकर राशि पाने के अधिकारी हैं?	"नहीं"

11. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी/वादी ने विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनमें दुर्ग सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.06.1997 (प्र.पी./1) का निर्णय भी शामिल है, जिसमें अपीलार्थी/वादी को सत्र विचारण क्रमांक 64/1995 में विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया था।



12. वर्तमान प्रकरण में, वादी के कथन और सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.1997 (प्र.पी./1) को पारित निर्णय की विवेचना करने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.10.2017 के अपने निर्णय के पैरा 18 में निम्नानुसार अवधारित किया:-

"18. प्र०पी 1 में यद्यपि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी क्र. 1 एम.डी. तिवारी के साध्य को संदेहास्पद एवं असंगत पाया है। उन्होंने यह भी पाया है प्रतिवादी क्र. 1 ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया एवं उस प्रकरण में उनका आचरण अनुचित रहा है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी क्र. 1 एम.डी. तिवारी के विरुद्ध रूल्स एण्ड आर्डर क्रिमिनल के नियम 241 के अंतर्गत कार्यवाही करना आदेशित किया था, जिसमें प्रतिवादी क्र. 1 ने 1,000 रुपए का अर्थदण्ड भी प्रस्तुत करना दर्शित है। किंतु विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया जाना कि जाना कि प्रतिवादी क्र. 1 ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है एवं प्रकरण में उनका आचरण उचित नहीं है, बतौर विवेचक/ पुलिस अधिकारी उनके द्वारा किये गये लोक कृत्य में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही से यदि यह भी मान लिया जाये कि उस प्रकरण में उनके द्वारा की गयी कार्यवाही प्रावधानित विधि अनुरूप नहीं थी, तब भी इस न्यायालय के समक्ष उक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि प्रतिवादी क्र. 1 ने विद्वेष रखते हुए वादी को अभियोजित किया था।"

13. दिनांक 07.06.1997 (प्र.पी./1) के निर्णय के पैरा 23 में, विद्वान सत्र न्यायालय ने पाया कि ".....इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में अभियुक्त पक्ष का बचाव भी पूर्णतः संभावित है एवं उक्त संभावित बचाव को देखते हुए भी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि अभियुक्त और उसकी पत्नी को एक ही दिन दि० 28/12/94 को संभवतः पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है एवं उक्त कारण से अभियुक्त प्रदीप जैन के पास से कोई अफीम की बरामदगी दि० 28/12/94 को पुलिस के द्वारा की जा सके, वह संभाव्य नहीं है।"

14. पैरा 25 में, विद्वान सत्र न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के नियम 241 के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की एवं अभिनिर्धारित किया कि, "इसके अतिरिक्त ऊपर विभिन्न तथ्य दर्शाये गये हैं। इस तरह इस प्रकरण में एम०डी० तिवारी, नगर निरीक्षक (आ. सा. न. 03) ने केवल अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, बल्कि उनका आचरण भी इस प्रकरण में अनुचित रहा है। जिस कारण से यह आवश्यक है कि उनके विरुद्ध रूल्स एंड आर्डर क्रिमिनल के नियम 241 के अंतर्गत कार्यवाही की जाय। निर्णय की प्रतिलिपि के साथ जिला दंडाधिकारी, दुर्ग को पत्र भेजा जाय कि वे नगर निरीक्षक, एम०डी० तिवारी के विरुद्ध उनके द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग एवं अनुचित आचरण करने के परिणाम स्वरूप



आवश्यक कार्यवाही करें एवं तीन माह के अंतर्गत इस न्यायालय को की गई कार्यवाही से सूचित करें।" और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि इस अनुशंसा के अनुसार, प्रतिवादी क्र. 1- एम.डी. तिवारी के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ की गई और उन पर 100/- रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

15. अतः, इस निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि विद्वान सत्र न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने पद का दुरुपयोग किया था और उसका आचरण भी अनुचित था और सक्षम प्राधिकारी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया था, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों की विवेचना नहीं की और त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया कि वादी यह साबित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादीगण द्वारा उस पर द्वेषपूर्ण अभियोजन चलाया गया है।

16. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दाण्डिक प्रकरण में अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है, परंतु सिविल प्रकरण में पक्षकार को अपना प्रकरण संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर साबित करना होता है।

17. विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.06.1997 (प्र.पी./1) के निर्णय में वादी के इस आरोप को साबित पाया गया कि उसे दाण्डिक अभियोजन में झूठा फंसाया गया था और प्रतिवादी क्रमांक 1 का आचरण संदिग्ध पाया गया और विद्वान सत्र न्यायालय ने प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 241 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा की।

18. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने रमेश (पूर्वोक्त) के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि, "एक अन्य सुस्थापित सिद्धांत यह है कि यद्यपि युक्तियुक्त और संभाव्य कारण के अभाव का प्रमाण एक नकारात्मक तथ्य का प्रमाण है, फिर भी इसे स्थापित करने का प्रारंभिक दायित्व वादी का है। यद्यपि, इस दायित्व का निर्वहन करने के लिए उसे केवल कुछ साक्ष्य की आवश्यकता होगी। वादी की मात्र निर्दोषता भी युक्तियुक्त और संभाव्य कारण के अभाव का प्रथम दृष्टया प्रमाण नहीं है। युक्तियुक्त और संभाव्य कारण के अभाव का अनुमान सबसे स्पष्ट द्वेष से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यदि कार्यवाही के लिए उचित आधार हैं, तो उन कार्यवाहियों को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति की ओर से कोई भी अनुचित मंशा स्वयं दायित्व का आधार नहीं हो सकती। द्वेष या द्वेषपूर्ण आशय दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ करने के समय प्रतिवादी की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वादी को युक्तियुक्त और संभाव्य कारण, यद्यपि किसी विशेष प्रकरण की परिस्थितियों में, जो दुर्लभ घटना है, एक का दूसरे से अनुमान लगाया जा सकता है। द्वेष केवल जानबूझकर कोई अनुचित कृत्य करना



नहीं है, बल्कि यह स्थापित किया जाना चाहिए कि विद्वेष और शत्रुता से प्रेरित, यानी द्वेष या द्वेषपूर्ण या किसी अप्रत्यक्ष या अनुचित आशय से।

दूसरे शब्दों में, वादी को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं किया था। ये सिद्धांत उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा उद्धृत द्वेषपूर्ण अभियोजन से संबंधित निर्णीत प्रकरण से उद्धृत प्रतीत होते हैं। अब यह देखने के लिए साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना है कि क्या वादी उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार उस पर जो दायित्व है, उसे पूर्ण करने में सफल रहा है।"

19. **मोहम्मद** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, प्रिवी काउंसिल ने पैरा 17 और 18 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

"17. द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति हेतु कार्रवाई की प्रकृति पर विचार करने से बोर्ड के समक्ष समस्या का उत्तर उभरता है। दाण्डिक कार्यवाही के आधार पर द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति हेतु कार्रवाई स्थापित करना जांच यह नहीं है कि दाण्डिक कार्यवाही, परीक्षण यह नहीं है कि अपराधी को अभियोजन पक्ष के रूप में सही ढंग से वर्णित किया जा सकता है या नहीं; परीक्षण यह है कि क्या ऐसी कार्यवाही उस स्तर तक पहुँच गई है जहाँ वादी को हानि हो सकता है। माननीय न्यायाधीश भारत की कुछ न्यायालयों की तरह यह कहने को तैयार नहीं हैं कि केवल एक झूठी शिकायत प्रस्तुत करने पर, जो पहले दाण्डिक विधि को लागू करने का प्रयत्न करती है, स्वतः ही द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर देता है कि उसमें ऐसा कोई अपराध नहीं है जिससे वह निपट सके, तो यह पूरी तरह से संभव है कि दाण्डिक विधि को लागू करने का एक असफल प्रयत्न ही किया गया हो, और वादी को कोई क्षति न हो। परंतु इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया, शिकायतकर्ता की शपथ पर जाँच की, खुले न्यायालय में धारा 202 के अधीन जाँच की, जिसमें वादी उपस्थित रहा, और, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश ने पाया है, उसे अपना बचाव करने में व्यय उठाना पड़ा। वादपत्र में दाण्डिक कार्यवाही प्रारंभ करने का आरोप लगाया गया है जिसमें अनिवार्य रूप से प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाना शामिल है और विशेष क्षति का विवरण दिया गया है; कथित तौर पर वादी को यह क्षति उठाना पड़ा है। माननीय न्यायाधिपतिगण का मानना है कि कार्रवाई सुस्थापित थी, और विचारण के निष्कर्षों के आधार पर वादी निर्णय का हकदार है।



18. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, विद्वान न्यायाधीश संपदा की विशेष हानि के रूप में 1,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान के लिए तैयार थे, परंतु उन्होंने वादी की प्रतिष्ठा को हुए हानि के प्रश्न पर विचार नहीं किया, जिसका वादपत्र में आकलन 25,000 रुपये किया गया था। यद्यपि, इस बोर्ड के समक्ष, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि उन्होंने नाममात्र के क्षतिपूर्ति से अधिक की माँग नहीं की और वे बोर्ड द्वारा दी जाने वाली राशि स्वीकार करने को तैयार थे। पक्षकारों ने क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई संदर्भ नहीं माँगा और परिस्थितियों को देखते हुए, उनके अधिवक्ता वही मार्ग अपनाने के लिए तैयार हैं जो बोर्ड ने 10 एमआईए 54014 में अपनाया था और स्वयं क्षतिपूर्ति का आकलन करने के लिए तैयार हैं। वे 1,000 रुपये की राशि स्वीकार करते हैं जिसे विद्वान न्यायाधीश ने विशेष हानि के रूप में निर्धारित किया होगा, और वे प्रतिष्ठा को हुए सामान्य हानि का आकलन 100 रुपये करते हैं।”

20. इसके अतिरिक्त, माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने **येरम** (पूर्वोक्त) प्रकरण में पैरा 9 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

“9. मदन मोहन सिंह विरुद्ध भीरुनाथ सिंह व अन्य, (निर्णय [aspx?id=912588](#)) में, पटना उच्च न्यायालय के युगलपीठ, जिसमें रामास्वामी एवं सरजू प्रसाद, न्यायमूर्ति शामिल थे, ने सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया:

द्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई का आधार न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है विधि को त्रुटिपूर्ण रूप से लागू करके और इसका प्रयोजन न्याय तंत्र को अनुचित प्रयोजन के लिए विकृत करने से रोकना है। सफल होने के लिए, वादी को यह साबित करना ही होगा कि कार्यवाही द्वेषपूर्ण थी, बिना किसी युक्तियुक्त और संभाव्य कारण के, कि वे उसके पक्ष में समाप्त हुआ और उसे हानि हुई। द्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए कार्रवाई करने के लिए यह जांच किया जाता है कि क्या प्रतिवादी ने दायित्व विधि को लागू करने में सक्रिय रूप से सहायक भूमिका निभाई थी, दूसरे शब्दों में, क्या प्रतिवादी ने द्वेषपूर्ण रूप से एक गठित प्राधिकरण के माध्यम से विधि को लागू किया बिना इस बात पर ध्यान दिए कि आरोप किस तकनीकी रूप में लगाया गया है।”

21. उपरोक्त के आलोक में, यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थी पर एक दायित्व प्रकरण में अभियोजन चलाया गया था और दिनांक 07.06.1997 (प्र.पी./1) के निर्णय के अनुसार, विद्वान सत्र न्यायालय ने



विचारण पूर्ण होने के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि विवेचक का आचरण संदिग्ध था और उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। इस प्रकरण में यह भी विवादित नहीं है कि वादी 2 वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रहा, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों पर विचार नहीं किया और त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया।

22. प्रकरण का परिणाम वादी को दोषमुक्त करना था और प्रतिवादी ने ऐसा द्वेषपूर्ण अभियोजन चलाया था या अन्य प्रकरणों में अभियोजन द्वेषपूर्ण आशय से चलाया गया था और यह भी साबित हुआ है कि ऐसी कार्यवाही के लिए युक्तियुक्त और संभाव्य कारण का अभाव था और जब ये समस्त तथ्य वादी के पक्ष में साबित हुए, तो यह भी साबित हुआ कि वादी को हानि हुई है। परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों की विवेचना नहीं की और प्रतिवादी क्र. 1 के विरुद्ध दाण्डिक न्यायालय के स्पष्ट निर्णय के बावजूद त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया।

23. यह भी स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादी क्र.3/प्रतिवादी क्र.4-राज्य एकपक्षीय रहा और एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 7 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.07.2017 के आदेश द्वारा, प्रतिवादी क्र.4/प्रतिवादी क्र.3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया। इसके बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिवादी क्र.3/राज्य के लिखित कथन पर विचार किया। यह स्पष्ट है कि वादी ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा अपना प्रकरण सफलतापूर्वक साबित कर दिया और प्रतिवादी अपना बचाव साबित करने में असफल रहे, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया और वादी का वाद खारिज कर दिया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष संधारणीय नहीं हैं।

24. वादी ने 1,75,69,542/- रुपये के प्रतिकर का दावा किया, किंतु इसकी पुष्टि करने हेतु उसने कोई आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया और उसने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया। अतः अपीलार्थी/वादी द्वारा अपनी आय की हानि हेतु कोई प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि, यह स्पष्ट है कि वादी/अपीलार्थी दाण्डिक कार्यवाही में 2 वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रहा और जिसके कारण उसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

25. राज्य प्राधिकारियों द्वारा वादी को पहुँचाए गए वृहत् हानि को विचार में रखते हुए, उसे 2 वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रहना पड़ा है, जबकि वह किसी भी दाण्डिक प्रकरण में वांछित नहीं था और उसे विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.06.1997 को पारित निर्णय द्वारा रिहा कर दिया गया,



जिन्होंने अपने निर्णय में अवधारित किया है कि पुलिस प्राधिकारी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हमारा अभिमत है कि वादी द्वेषपूर्ण अभियोजन हेतु 5,00,000/- रुपये का प्रतिकर पाने का हकदार है। राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से 2 माह की अवधि के भीतर वादी को 5,00,000/- रुपये का प्रतिकर, वाद प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली तक 6% की दर से ब्याज सहित, संदाय करे। राज्य शासन विधि सम्मत यदि चाहे तो प्रतिवादी क्रमांक 1 एम.डी. तिवारी से 5,00,000/- रुपये का प्रतिकर राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र है।

26. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

27. तदनुसार डिक््री तैयार की जाए।

सही/- (रजनी दुबे) न्यायाधीश	सही/- (सचिन सिंह राजपूत) न्यायाधीश
-----------------------------------	--

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।